# न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी – शक्तिसिंह भाटी, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :– 105/2017 (वाद)
दायर दिनांक :– 03/10/2017
निर्णय दिनांक :–30/01/2018

अनवान

1– लक्ष्मीबाई विधवा रामलाल नायक निवासी वगतपुरा तह0 – रेलमगरा
2– विनोद पिता रामलाल नायक निवासी वगतपुरा तह0– रेलमगरा

वादीगण

बनाम

1– रतनलाल दत्तक पुत्र सोहनीबाई विधवा रूपा नायक निवासी वगतपुरा तह0 – रेलमगरा
2– नानीबाई विधवा रोशनलाल नायक निवासी वगतपुरा तह0 – रेलमगरा
3– सुखलाल पिता रोशनलाल नायक ना.बा. जरिये माता नानीबाई निवासी वगतपुरा तह0 – रेलमगरा
4– बाबुलाल पिता रोशनलाल नायक ना.बा. जरिये माता नानीबाई निवासी वगतपुरा तह0 – रेलमगरा
5– सुगणा पिता रोशनलाल नायक ना.बा. जरिये माता नानीबाई निवासी वगतपुरा तह0 – रेलमगरा
6– डाली पिता रोशनलाल नायक ना.बा. जरिये माता नानीबाई निवासी वगतपुरा तह0 – रेलमगरा
7– केसर पिता लेहरू नायक पत्नि पृथ्वीराज नायक निवासी ताराखेडा तह0 – रेलमगरा
8– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा
9– शाखा प्रबन्धक आई सी आई सी आई बैंक शाखा कुरज

प्रतिवादीगण

**वाद बाबत् स्वत्व घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं राजस्व अभिलेख में अंकन कराये जाने**

## : : निर्णय : :

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् स्वत्व घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं राजस्व अभिलेख में अंकन कराये जाने का प्रस्तुत किया कि ग्राम वगतपुरा में खाता संख्या 108 के आराजी संख्या 82, 83, 84, 464, 465, 546, 565, 574 कुल किता– 08 रकबा 18–18 बीघा एवं खाता संख्या 113 के आराजी संख्या 34, 717/8, 720/59 कुल किता–03 रकबा 03–05 बीघा कृषि भूमि स्थित है। वादीगण और प्रतिवादीगण संख्या 01 से 07 तक एक ही खानदान के होकर वंशवृक्ष वादपत्र में अंकित है। वादपत्र की कलम संख्या 01 में अंकित खाता संख्या 108 की आराजियात केरिंग जी की होकर उसमें पांचों पुत्र रूपा, खुमा, हरलाल, लेहरू व चतुर्भूज का प्रत्येक का 1/5 हिस्सा होता है। रूपा लाऔलाद फौत हो गया, जिससे उनकी पत्नि सोहनीबाई ने खुमा जी के पुत्र रतनलाल को गोद ले लिया जिससे रूपा का 1/5 हिस्सा रतनलाल को मिल गया और इसी अनुरूप अंकन भी हो गया। लेहरू की पुत्री केशर को 1/5 हिस्सा अनुरूप अंकन हो गया जो सही है। हरलाल के कोई औलाद नही है और चतुर्भूज जी अविवाहित रहा। चतुर्भूज का हिस्सा उनके ही नाम 1/5 से आज भी दर्ज है। श्रीरामलाल व श्री रोशनलाल ने मिलकर आपसी सहमति से तय किया कि श्री हरलाल की सम्पत्ति रोशनलाल के और श्री चतुर्भूज जी की सम्पत्ति

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

मलाल की रहेगी। इससे श्री रतनलाल और श्रीमति केशर भी सहमत थे। इस प्रकार का पारिवारिक समझौता हुआ है। प्रतिवादी संख्या 01 रतनलाल स्वर्गीय सोहनबाई पत्नि रूपा जी के गोद चला गया, जिससे उसे खुमा जी की जायदाद में से कुछ भी नही मिला है और श्री हरलाल जी का हिस्सा श्री रोशनलाल को मिला जो उसे प्राप्त हो गया है और उसी प्रकार चतरभूज जी का हिस्सा श्री रामलाल को प्राप्त हो गया जो उसकी मृत्यु पश्चात् वादीगण को मिल गया। वादपत्र की कलम संख्या 01 में अंकित खाता संख्या 108 की आराजियात में वादीगण को खुमा जी की जायदाद में 1/2 हिस्सा और प्रवितादीगण संख्या 2 से 6 को 1/2 हिस्सा प्राप्त होता है, जैसा की स्वर्गीय रोशनलाल ने वादीगण के पक्ष में दिनांक 09.07.2012 को वादी संख्या 02 के पक्ष में इकरार लिखकर सिपूर्द कर दिया, जिससे स्वर्गीय रोशनलाल जी के वारिसान पाबन्द है। श्रीमति सोसरबाई ने अपना स्वत्व वादीगण और स्वर्गीय रोशनलाल के वारिसान के पक्ष में अपना हक पहले ही त्याग कर दिया। वादपत्र की कलम संख्या 01 में अंकित खाता संख्या 113 की आराजियात जो स्वर्गीय खुमा जी के नाम पर अंकित हो विरासत से नामान्तरकरण अंकित हो गया है किन्तु इस खाते की जमीन में वादीगण का 1/2 और प्रतिवादीगण संख्या 02 से 06 के पूर्वाधिकारी स्वर्गीय रोशन का 1/2 हिस्सा होकर भूमियां प्राप्त हुई है। चूंकि रतनलाल स्वर्गीय सोहनीबाई के गोद चले जाने से उसे खुमा जी की जायदाद में कोई हक नही मिलता है, उसे पूर्ण हिस्सा रूपा जी का प्राप्त हो गया है। इसमें रोशन के नाम 3/20 हिस्से से और रामलाल के वारिसों के नाम 1/20 हिस्से से अंकन हो गया , जो कि स्पष्टतः गलत अंकन है। खाता संख्या 108 में स्वर्गीय रोशनलाल के नाम पर 1/5 हिस्सा खुमा जी का दर्ज हो गया और 3/20 हिस्सा ओर अधिक दर्ज हो गया है। जबकि 1/5 हिस्सा, जो खुमा जी से प्राप्त होता है उसमें 1/10 हिस्सा श्री रोशनलाल के नाम पर और 1/10 हिस्सा वादीगण के नाम पर अंकित होना चाहिये। और हरलालजी का हिस्सा श्री रोशनलाल के नाम होना चाहिये, जो हो गया और 1/5 हिस्सा चतरभूज जी का वादीगण के नाम पर होना चाहिये। इस प्रकार से राजस्व अभिलेख में भूमियों का हिस्सा गलत अंकित हो गया है, जिससे सुधारा जाना आवश्यक हो गया है। वादपत्र की कलम संख्या 108 में श्री खुमा जी से प्राप्त जायदाद में 1/5 में से आधा और चतरभूज जी का 1/5 हिस्सा मिलता है व खाता संख्या 113 में से 1/2 हिस्सा मिलता है। जबकि प्रतिवादी संख्या 02 से 06 के पूर्वाधिकारी रोशनलाल को खुमा जी के हिस्से 1/5 में से आधा हिस्सा व श्री हरलालजी से प्राप्त 1/5 हिस्सा मिला व खाता संख्या 113 का आधा हिस्सा प्राप्त हुआ। वादीगण के लिये घोषणा का दावा लाया जाना लाजमी हो गया है। मौके पर पक्षकारान इसी प्रकार से काबिज है। प्रतिवादी संख्या 04 से 06 नाबालिग है जो अपनी माता प्रतिवादी संख्या 02 के साथ रह रहे है, जो उनकी कुदरतीवली इनका हित सम्मान है, परस्पर विरोधाभास नही है। रामलाल व रोशनलाल क मध्य आपसी सहमति से यह तय हुआ कि खुमा की जायदाद दोनो को बराबर मिलेगी। हरलाल व चतरभूज के कोई वारिसान नही होने से हरलाल का हिस्सा रोशनलाल और चतुरभूज का हिस्सा रामलाल को मिला, जो रामलाल की मृत्यु के बाद वादीगण को मिला, जिससे रतनलाल व लहरू भी सहमत थे। जिससे खाता संख्या 108 में से वादीगण को कुल 3/10 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 02 से 06 को 3/10 हिस्सा मिलता है। खाता संख्या 113 में से वादीगण को आधा व प्रतिवादीगण संख्या 02 से 06 को आधा मिला। इसी प्रकार स्वत्व घोषित कराया जाना आवश्यक हो गया है। प्रतिवादीगण संख्या 02 से 06 के पूर्वाधिकारी श्री रोशनलाल की मृत्यु अभी हो गई है। जिससे प्रतिवादीगण संख्या 02 से 06 अपनी भूमियां जो की राजस्व रेकर्ड में गलत अंकन हो गई है के अनुसार खुर्द बुर्द कर देने को आमदा हो रहे है और इस प्रकार की एलानियां धमकियां देना प्रारम्भ कर दिया व राजस्व अभिलेख में अंकन कराने के लिये तत्पर हो रहे है, जिससे उनके विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित कराई जाना भी आवश्यक हो गया है अन्यथा वादीगण को भारी अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति नकदी में नही हो सकेगी परस्पर मुकदमेबाजी बढेगी। प्रतिवादी संख्या 08 राज्य सरकार है जो आवश्यक पक्षकार है उसके विरूद्व वाद लाने के लिये विधिक सूचना पत्र अन्तर्गत धारा 80 जा.दी. दिये जाने की बाध्यता है। जिससे मुक्ति दिलाये जाने का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत कर बाद अनुमति दावा पेश किया जा रहा है। स्वर्गीय रोशनलाल ने प्रतिवादी संख्या 09 से ऋण लेकर रेकार्ड में उसका नाम अंकित होने से उसे पक्षकार बनाया गया। वाद कारण स्वर्गीय रोशनलाल की मृत्यु के पश्चात् उसके वारिसान द्वारा जमीन को खुर्द बुर्द

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

कर देने की धमकी देना प्रारम्भ किया और दिनांक 25.10.2017 को उनके द्वारा भूमियों का स्वत्व अपने नाम करा हस्तान्तरण कर देने की इच्छा जाहिर कर देने पर बमुकाम वगतपुरा उत्पन्न हुआ जो चालु है। अतः प्रार्थना है कि वादीगण के पक्ष में और विरूद्व प्रतिवादीगण स्वत्व घोषणा की डिक्री पारित फरमाई जावे कि वाद पत्र की कलम संख्या 01 में अंकित आराजियात में श्री चतरभूज से प्राप्त 1/5 हिस्सा पूरा वादीगण के नाम अंकित फरमाया जावें और श्री खुमा से प्राप्त आराजियात में खाता संख्या 113 में आधा हिस्सा, और खाता संख्या 108 में के खुमा के हिस्से में भी 1/2 हिस्सा इस प्रकार कुल आराजियात में वादीगण का 3/10 हिस्सा घोषित फरमाया जावें और तद्नुकूल राजस्व अभिलेख में अंकन फरमाया जावें तथा अन्य नाम खातों से हटवाया जावें। प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित कराई जावें कि वे, उनके नौकर चाकर परिवारजन आदि कोई भी वाद ग्रस्त आराजियात में वादीगण के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि में कोई हस्तक्षेप बाधा खडी नही करें, न खुर्द बुर्द करें और राजस्व अभिलेख में किसी भी प्रकार की तरमीम नही करावें, न सम्बन्धित प्रतिवादी ही ऐसा करें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 07 व 09 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही के आदेश प्रदान किये गये। तथा प्रतिवादी संख्या 08 भूमिधारक होकर उनके विरूद्व कोई दाद नही चाही गयी है।

वादीया ने अपने वादपत्र के समर्थन में गवाह पीडब्ल्यू–01 लक्ष्मीबाई का शपथ पत्र एवं दस्तावेजी साक्ष्य खाता संख्या 108 की जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 प्रमाणित प्रति प्रदर्श–01, खाता संख्या 113 जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–02, खाता संख्या 109 की जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 की प्रति प्रदर्श– 03, नक्शा ट्रेस प्रदर्श–04, इकरार की प्रति प्रदर्श–05 ए के प्रस्तुत किये गये।

वादीया अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई तथा पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध प्रदर्श 01 से लगायत 05 के अनुसार वादीगण अपने वाद पत्र को सिद्व करने में सफल रहे है।

अतः वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वत्व घोषणा का स्वीकार किया जाकर ग्राम वगतपुरा में खाता संख्या 108 के आराजी संख्या 82, 83, 84, 464, 465, 546, 565, 574 कुल किता– 08 रकबा 18–18 बीघा एवं खाता संख्या 113 के आराजी संख्या 34, 717/8, 720/59 कुल किता–03 रकबा 03–05 बीघा कृषि भूमि में वादीगण को 03/10 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 30/01/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(शिवितसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा

# मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी :– शक्तिसिंह भाटी, आर0 ए0 एस

राजस्व वाद संख्या :– 105/2017 वाद

**वादीपक्ष :–**

1– लक्ष्मीबाई विधवा रामलाल नायक निवासी वगतपुरा तह0 – रेलमगरा
2– विनोद पिता रामलाल नायक निवासी वगतपुरा तह0– रेलमगरा

**–: बनाम :–**

**प्रतिवादीपक्ष :–**

1– रतनलाल दत्तक पुत्र सोहनीबाई विधवा रूपा नायक निवासी वगतपुरा तह0 – रेलमगरा
2– नानीबाई विधवा रोशनलाल नायक निवासी वगतपुरा तह0 – रेलमगरा
3– सुखलाल पिता रोशनलाल नायक ना.बा. जरिये माता नानीबाई निवासी वगतपुरा तह0 – रेलमगरा
4– बाबुलाल पिता रोशनलाल नायक ना.बा. जरिये माता नानीबाई निवासी वगतपुरा तह0 – रेलमगरा
5– सुगणा पिता रोशनलाल नायक ना.बा. जरिये माता नानीबाई निवासी वगतपुरा तह0 – रेलमगरा
6– डाली पिता रोशनलाल नायक ना.बा. जरिये माता नानीबाई निवासी वगतपुरा तह0 – रेलमगरा
7– केसर पिता लेहरू नायक पत्नि पृथ्वीराज नायक निवासी ताराखेडा तह0 – रेलमगरा
8– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा
9– शाखा प्रबन्धक आई सी आई सी आई बैंक शाखा कुरज

दावा :– घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वादी की ओर से :– अधिवक्ता– एस0के0 मेहता
प्रतिवादी की ओर से :– अधिवक्ता– –

में इस आशय में दिनांक 30/01/2018 की न्यायालय के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है ओर डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वत्व घोषणा का स्वीकार किया जाकर ग्राम वगतपुरा में खाता संख्या 108 के आराजी संख्या 82, 83, 84, 464, 465, 546, 565, 574 कुल किता– 08 रकबा 18–18 बीघा एवं खाता संख्या 113 के आराजी संख्या 34, 717/8, 720/59 कुल किता–03 रकबा 03–05 बीघा कृषि भूमि में वादीगण को 03/10 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

आज दिनांक 30/01/2018 को न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गयी।

(शक्तिसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा